नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत मेरठ के नियन्त्रणधीन पशु पैठ चितवाना शेरपुर से लदान–ढुलान शुल्क वसूली का ठेका दिनांक 18–9–2014 को समय 11 बजे कार्यालय जिला पंचायत मेरठ के सभागार में सार्वजनिक बोली लगाकर एक वर्ष के लिए छोडा जायेगा। ठेका अविधि 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक की रहेगी। नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी से पूर्व जमानत के रूप में अंकन 10000/– रू0 जमा करने होगे। तदोपरान्त ही बोली में भाग लिया जा सकता है। उच्चतम बोलीदाता को अपनी बोलीं की समस्त धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमा करनी होगी। यदि धनराशि जमा नही की जाती है तो जमानत राशि जब्त कर नीलाम समिति यदि द्वितीय बोली दाता की बोली को उचित समझती है तो धन जमा कराने पर विचार कर सकती है।नीलाम प्रक्रिया में पहचान पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि नीलाम उक्त तिथि पर नही हो पाता है तो आगामी प्रत्येक ब्रहस्पतिवार को उक्त नियत समय व स्थान पर उक्तानुसार किया जायेगा। नीलाम की शर्ते एवम् अन्य विवरण किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पत्रांक– 3390/जि०प० दिनांक– 3-9-14

प्रतिलिपि– 1. मा0 अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत मेरठ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिलाधिकारी मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)मेरठ को इस आश्य के साथ कि उक्त सूचना को जनपद की बैबसाईट meerut.nic.in .पर डलवाने का कष्ट करें

4. कर अधिकारी/अभियन्ता/वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत मेरठ को नीलाम सम्पन्न कराने हेतु सूचनार्थ।

5– श्री कुलवन्तसिंह मुख्य लिपिक निर्माण विभाग जिला पंचायत मेरठ को इस आदेश के साथ कि वे उपरोक्त नीलाम सूचना जनपद मेरठ की बैबसाईट व जिला पंचायत मेरठ की बैबसाईट पर अंकित कराना सुनिश्चित करे।

6. सम्पादक दैनिक हिन्दुस्तान/शाह टाईम्स समाचार पत्र मेरठ को इस आश्य के साथ कि उक्त नीलाम सूचना को अपने–2 समाचार पत्र के आगामी अंक में कम से कम स्थान में सामान्य छपाई में शासकीय दरों पर जिसका बिल अधिकमतम 5000/–रू0 के अन्तर्गत प्रकाशित कर बिल भुगतान की दो–2 प्रतियों में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

7. पूर्व ठेकेदारों को बोली में भाग लेने हेतु सूचनार्थ।

983/ Dio Nic

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
मेरठ।
03/9/14